

Order Sheet [Contd]

Case No17/17 B.A Cr.P.C....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
16-1-17	<p>आवेदक/आरोपी बीरबल द्वारा श्री के०सी०उपाध्याय अधिवक्ता शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक ।</p> <p>अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय से आपराधिक प्र०क्रं० 1444/13 इ०फो० पुलिस गोहद बनाम अशोक आदि प्राप्त हुआ ।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से पेश आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 जा०फो० में व्यक्त किया गया है कि यह उनका प्रथम नियमित आवेदनपत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदनपत्र न ही निरस्त हुआ है तथा न ही किसी अन्य न्यायालय में लम्बित होना बताया गया है ।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से पेश आवेदनपत्र में निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में संचालित प्र०क्रं० 1444/13 इ०फो० में तारीख दिनांक 19-1-16 नियत थी उक्त पेशी के पूर्व ही दिनांक 15-1-16 को अचानक आवेदक की तबियत एकाएक खराब हो गई जिस कारण वह नियत पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका और अपने अभिभाषक को भी सूचना नहीं दे सका । आवेदक को पीलिया रोग होने से स्वस्थ होने में अधिक समय लगा था । आवेदक को पुलिस ने दिनांक 10-1-2017 को बन्दी बना लिया है और वह दिनांक 11-1-2017 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये जाने पर वहां उसका आवेदन निरस्त कर उसे अभिरक्षा में भेजा गया है तब से वह निरोध में है । आवेदक न्यायालय की संपूर्ण शर्तों का पालन करने को तैयार है । ऐसी दशा में उसे नियमित जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया है ।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया है ।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । प्रकरण जो कि अभियोजन साक्ष्य की स्टेज पर है । दिनांक 19-1-16 को वर्तमान आवेदक/आरोपी बीरबल के अनुपस्थित हो जाने के कारण उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट का आदेश हुआ है । आरोपी को दिनांक 11-1-17 को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में भेजा गया है ।</p> <p>आवेदक अधिवक्ता ने आरोपी को बीमारी से ग्रस्त होना जो कि उसे पीलिया रोग हो जाने के कारण नियत तिथि दिनांक को उपस्थित न हो पाना बताया है, किन्तु बीमारी के संबंध में कोई भी प्रमाणपत्र पेश नहीं है जिससे कि उसके बीमार होने की पुष्टि हो । इस प्रकार आवेदक के द्व</p>	

रा अनुपस्थिति का कारण जो बताया गया है वह उचित कारण नहीं है, किन्तु आरोपी दिनांक 11-1-17 से अभिरक्षा में है । उसे उसकी अनुपस्थिति का पर्याप्त सबक मिल चुका है । प्रकरण के निराकरण में अभी समय लग सकता है ।

विचारोपरान्त उपरोक्त सभी तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक की ओर से पेश आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 जा0फो0 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि आवेदक की ओर से संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य पचास हजार रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र इस आशय का पेश किया जाये कि प्रत्येक पेशी दिनांक को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा और साक्ष्य संपादित करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा तो उसे नियमित जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है । आरोपी की ओर से प्रस्तुत पूर्व मुचलके में से संबंधित विचारण न्यायालय राशि राज सात करने के लिये स्वतंत्र रहेगा ।

आदेश की प्रति सहित संबंधित न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस किया जाये ।

परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो ।

(डी0सी0थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

